



2026:AHC:167870

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या - 2146/1983

यासीन

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: कंचन चौधरी (ए.सी.)
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

16.07.2026 को सुरक्षित

11.08.2026 को प्रदत्त

1. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.02.2026 के आदेश के अनुपालन में, कार्यालय ने अपनी दिनांक 14.05.2026 की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने अपने दिनांक 13.03.2026 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि अपीलार्थी दिए गए पते पर नहीं मिला उसका पता नहीं चल पा रहा है।

2. दिनांक 01.12.2022 को, जब इस न्यायालय ने पाया कि अपील पर बहस करने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है, तब इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को एक न्याय मित्र नियुक्त करने का निर्देश दिया और उसके अनुपालन में, सुश्री कंचन चौधरी को अपील पर गुण-दोष के आधार पर बहस करने हेतु न्याय मित्र नियुक्त किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



3. चूंकि, दिनांक 14.05.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी दिए गए पते पर नहीं मिला और उसका ठिकाना ज्ञात नहीं है, इस न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के **भोला महतो बनाम झारखंड राज्य** के निर्णय, जो 2026 आई.एन.एस.सी. 257 में प्रतिवेदित है, का अवलोकन किया है, जिसमें उक्त निर्णय के प्रस्तर-23 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकित किया है:

“23. उपर्युक्त की निरंतरता में तथा वर्तमान कार्यवाही के दौरान जो कुछ घटित हुआ है, उसके आलोक में, हम एक अतिरिक्त अवलोकन करना चाहते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक बार जब कोई दोषसिद्ध व्यक्ति अपीलीय न्यायालय से कारावास के दंडादेश को निलंबित करने का आदेश प्राप्त कर लेता है और, फलस्वरूप, जमानत पर रिहा हो जाता है, तो प्रायः वह न्यायालय के साथ सहयोग करने में उपेक्षा करता है और/अथवा असफल रहता है तथा कार्यवाही से दूर रहकर अपनी अपील के शीघ्र विनिश्चय में बाधा उत्पन्न करता है, इस दृष्टि से कि यदि अपील असफल हो, तो उसकी स्वतंत्रता संकुचित न हो। अनुभव के आधार पर, हम अभिलिखित कर सकते हैं कि अनेक अवसरों पर, ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति अप्राप्य हो जाते हैं। ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति, जो जमानत की छूट का उपभोग करते हुए उसका दुरुपयोग करते हैं, उनसे न्यायालयों द्वारा दृढ़ और कठोर तरीकों से निपटा जाना आवश्यक है। अनोखी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019 20 एस.सी.सी. 196 में प्रतिवेदित) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई प्रकृति के तकनीकी अभिवचन उठाने की दोषसिद्ध व्यक्तियों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, हम यह अवलोकित करते हैं कि, अब से, जब भी कोई अपीलीय न्यायालय किसी दोषसिद्ध व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त करना वांछनीय समझे, जिसका अधिवक्ता अनुपस्थित है, तो ऐसा न्यायालय अपील ज्ञापन में उल्लिखित दोषसिद्ध व्यक्ति के पते पर रजिस्ट्री से नोटिस जारी करने की वांछनीयता पर भी विचार कर सकता है, ताकि ऐसा नोटिस अधिकारिता संपन्न पुलिस थाने के माध्यम से उस पर तामील किया जाए, इस सूचना के साथ कि दोषसिद्ध व्यक्ति विद्वान न्याय मित्र से संपर्क कर सकता है और उसे आवश्यक अनुदेश दे सकता है ताकि उसका वाद न्यायालय के समक्ष प्रभावी और सार्थक ढंग से बहस किया जाए। यदि दोषसिद्ध व्यक्ति न्याय मित्र से संपर्क करता है और अनुदेश देता है, तो सामान्यतः

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपील की सुनवाई आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं होगी। यदि, वस्तुतः, दोषसिद्ध व्यक्ति चाहता है कि न्याय मित्र के बजाय उसका अपना अधिवक्ता उसकी ओर से अपील पर बहस करे, तो न्यायालय न्याय मित्र के अतिरिक्त ऐसे अधिवक्ता को भी सुन सकता है। तथापि, यदि तामील रिपोर्ट यह इंगित करती है कि दोषसिद्ध व्यक्ति पते पर नहीं मिला अथवा उपस्थित होते हुए भी उसने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो यदि नोटिस उस परिसर की बाहरी दीवार पर चिपकाया जाता है, जिसका पता अपील ज्ञापन के वाद-शीर्षक में उल्लिखित है, तो यह पर्याप्त अनुपालन के तुल्य होगा। यदि दोषसिद्ध व्यक्ति फिर भी निष्क्रिय रहता है, और ऐसा प्रतिवेदित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय दोषसिद्ध व्यक्ति के स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित उसकी पसंद के अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की प्रतीक्षा किए बिना अपील का विनिश्चय करने हेतु अग्रसर हो सकता है। हमारी दृष्टि में, यह प्रक्रिया, यदि किसी अपील का विनिश्चय न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र को सुनकर किया जाता है, तो इस न्यायालय के समक्ष अनुचितता के किसी भी अभिवचन को समाप्त करने के प्रयोजन की पर्याप्त रूप से पूर्ति करेगी। इसके अतिरिक्त, इसी प्रकृति के किसी वाद में, जहां अपील जमानत प्रदत्त किए जाने के दो दशक पश्चात सूचीबद्ध होती है, यह प्रक्रिया इस सूचना के प्राप्त होने को सुनिश्चित करेगी कि क्या अपील विनिश्चय हेतु विद्यमान है अथवा उपशमित हो चुकी है। पश्चात्पूर्ति स्थिति में, न्यायालय ऐसी अपील के विनिश्चय में बहुमूल्य न्यायिक समय व्यय करने से बच सकते हैं, जिसके लिए, विधि के प्रवर्तन द्वारा, गुण-दोष पर विनिश्चय अपेक्षित न हो। निःसंदेह, अभिरक्षा में विद्यमान ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति के लिए, जिसने मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित किया है, संबंधित न्यायालयों के कार्य को विनियमित करने वाले सुसंगत नियमों के अतिरिक्त अनोखी लाल (उपरोक्त) में दिए गए निर्देशों का सतर्कतापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए।”

4. यह अपील विगत 43 वर्षों से लंबित है और अपीलार्थी चार दशकों से अधिक समय से जमानत का उपभोग कर रहा है। अतः, सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले न्याय मित्र की सहायता से अपील का गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय करने हेतु अग्रसर होना उचित समझता है, क्योंकि वह न तो प्राप्य है और न ही वह दिए गए पते पर पाया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान न्याय मित्र सुश्री कंचन चौधरी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चंदन सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री, जिसमें संपूर्ण विचारण न्यायालय का अभिलेख सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।

6. यह अपील विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा सत्र विचारण संख्या 298/1980 (राज्य बनाम यासीन), धारा 363, 366, 376 भा.द.सं., थाना सिविल लाइंस, जनपद मेरठ में पारित दिनांक 09.09.1983 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास, धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास एवं रु. 3000/- के शास्ति तथा धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत छह वर्ष के कठोर कारावास एवं रु. 3,000/- के शास्ति से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया, तथा शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

7. अभियोजन का वाद यह है कि अभिकथित घटना के समय पीड़िता सेंट थॉमस गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरठ की छात्रा थी। वह स्थानीय मिनी बस से कॉलेज जाया करती थी। वह मोशोर देवनगर, मेरठ की निवासी थी और उसके पिता चिकित्सा व्यवसायी थे। अभियुक्त उक्त वाहन का परिचालक था और पीड़िता के पिता उस बस से अक्सर यात्रा करते थे। दिनांक 25.08.1978 को लगभग प्रातः 10:00 बजे पीड़िता कॉपियां आदि खरीदने बाजार जा रही थी। अभियुक्त एक निश्चित स्थान पर उससे मिला और उससे कहा कि वह उसके साथ दिल्ली चले, क्योंकि वह कोई रोजगार प्राप्त करना चाहती थी। पीड़िता ने उससे कहा कि उसे अपने माता-पिता से अनुमति लेने के लिए अपने घर जाना होगा। अभियुक्त ने उसे सूचित किया कि उसने पहले ही उसके माता-पिता से बात कर ली है और उसे बस द्वारा दिल्ली ले गया। अभियुक्त स्वयं को राजू सक्सेना, निवासी जनपद बुलंदशहर, के रूप में प्रस्तुत करता रहा था और उसने बताया कि उसके पास दो बर्से हैं। तत्पश्चात, अभियुक्त पीड़िता को बस द्वारा दिल्ली ले गया और अपने छोटे भाई के ससुराल वालों के घर ठहरा। लगभग 04:30 बजे अपराह्न वह उस स्थान से रेलवे स्टेशन आया। दिल्ली रेलवे स्टेशन से वह पीड़िता को यात्री गाड़ी द्वारा मुरादाबाद ले गया और अगली सुबह 5:30 बजे मुरादाबाद पहुंचा तथा एक मदरसे में पहुंचा। मुरादाबाद से उसने एक मेटाडोर वाहन किराए पर लिया और पीड़िता को संभल ले गया, जहां उसका मित्र उसके घर पर मिला और संभल में कुछ समय ठहरने के बाद, अभियुक्त पीड़िता को हापुड़ लाया, जहां से वह उसे बुलंदशहर ले गया और अपने मित्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जीते के घर गया, परंतु वह वहां उपलब्ध नहीं था। अभियुक्त, तत्पश्चात, पीड़िता को छज्जूमल की धर्मशाला में ले गया और प्रबंधक से उनके लिए दो पलंगों वाला कमरा प्रबंध करने के लिए कहा और, तत्पश्चात, उसने पीड़िता को धमकाया और उसके साथ सोने के लिए बाध्य किया। उसने उसकी लज्जा भंग की और बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग किया। पीड़िता भूतल पर नीचे आई और धर्मशाला के प्रबंधक को घटना के बारे में सूचित किया, जिसने पुलिस को बुलाया और अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर कोतवाली थाना, बुलंदशहर लाया गया। पीड़िता ने स्वयं इस घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) दर्ज कराई। दिनांक 27.08.1978 को पीड़िता के पिता को पुलिस से सूचना मिली और वे बुलंदशहर गए। 'सुपुर्दगीनामा' (प्रदर्श क-6) निष्पादित किए जाने के पश्चात पीड़िता को उसके पिता की 'सुपुर्दगी' में दिया गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28.07.1978 को किया गया।

8. एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के पश्चात, मामला विवेचना हेतु सौंपा गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। विवेचना के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया, जिसके पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया और यह सत्र विचारण संख्या 298/1982 (राज्य बनाम यासीन), धारा 363, 366, 376 भा.द.सं., थाना सिविल लाइंस, जनपद मेरठ के रूप में पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध उपर्युक्त उपबंधों में आरोप विरचित किए। अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

9. विचारण के दौरान, अभियोजन ने दस्तावेजी के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य पर भी भरोसा किया है।

10. पी.डब्ल्यू.4 पीड़िता के पिता हैं, जिन्होंने विचारण में कथन किया कि उसने वर्ष 1978 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसकी जन्मतिथि 19.05.1963 है, अतः अभिकथित घटना के समय वह 15 वर्ष की आयु की थी। दिनांक 25.08.1978 को पीड़िता कॉपियां खरीदने बाजार गई थी, वह उस दिन वापस नहीं लौटी। दिनांक 27.08.1978 को उन्हें पुलिस से सूचना मिली और वे बुलंदशहर गए तथा उनकी पुत्री को पुलिस द्वारा उन्हें सुपुर्द किया गया। उस समय अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. पी.डबल्यू.5-हरी राम एक औपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि पीड़िता ने उन्हें लिखित कथन (प्रदर्श क-4) दिया था, जिसके आधार पर चिक रिपोर्ट (प्रदर्श क-7) तैयार की गई और वाद जी.डी. (प्रदर्श क-8) में पंजीकृत किया गया।

12. पी.डबल्यू.6-उप निरीक्षक किरन सिंह ने प्रदर्श क-4, प्रदर्श क-7 और प्रदर्श क-8 तथा जी.डी. में इसकी प्राप्ति को प्रमाणित किया।

13. पी.डबल्यू.7-उप निरीक्षक मंगल सिंह ने वाद की विवेचना की। उन्होंने उस स्थल का नक्शा-नज़री (प्रदर्श क-10) प्रमाणित किया, जहां अभिकथित रूप से बलात्संग कारित किया गया था। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श क-13) प्रस्तुत किया।

14. वाद की पीड़िता, पी.डबल्यू.3, ने विचारण में अपने कथन में बताया कि अभिकथित घटना के समय वह लगभग 15 वर्ष की आयु की थी। उसे अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.08.1978 को लगभग प्रातः 10:00 बजे दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से उसे मुरादाबाद लाया गया, जहां से उसे संभल ले जाया गया और फिर उसे हापुड़ लाया गया, तत्पश्चात, उसे बुलंदशहर ले जाया गया और वे रात्रि में वहां पहुंचे। अभियुक्त उसके साथ अपने मित्र जीते के घर गया, परंतु वह वहां उपलब्ध नहीं था, और फिर अभियुक्त उसे छज्जूमल की धर्मशाला में ले गया, जहां उसने कमरा प्रबंध करने के लिए धर्मशाला के प्रबंधक से बात की। उसे उक्त परिसर के प्रथम तल पर एक कमरे में ले जाया गया, जहां अभियुक्त ने बलपूर्वक उसकी लज्जा भंग की। उसने कथन किया कि उसे नाखूनों की मामूली खरोंचें भी आईं।

15. पी.डबल्यू.2-डॉ. एच.यू.के. जुबैरी ने एक्स-रे रिपोर्ट को प्रमाणित किया और कथन किया कि उन्होंने एक्स-रे रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) में आयु का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कथन किया कि आयु में दोनों ओर दो वर्ष तक का अंतर हो सकता है।

16. विचारण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी को उसके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य से सामना कराया गया। धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उसका कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने कथन किया कि उसे मिथ्या फंसाया गया है और प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

17. विचारण के दौरान प्रस्तुत उपर्युक्त सामग्री के आधार पर, सत्र न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त अपीलार्थी का दोष युक्तियुक्त संदेह से परे स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और परिणामस्वरूप, अभियुक्त-अपीलार्थी को, जैसा ऊपर कथित है, दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है।

18. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान न्याय मित्र ने आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि तथा दंडादेश के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश की ओर ले जाने वाले दोष के निष्कर्ष अभिलिखित करने में त्रुटि की है, इस हद तक कि साक्षियों की गवाही विश्वसनीय नहीं है और अभियुक्त-अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता को उसके गुप्तांगों में कोई आंतरिक क्षति नहीं पहुंची। चिकित्सीय परीक्षण के साथ-साथ अनुपूरक चिकित्सा रिपोर्ट भी अभियोजन के संस्करण की संपुष्टि नहीं करती। अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता घटना से पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी को जानती थी। वह आवेदक के साथ गई, कई स्थानों की यात्रा की और संपूर्ण यात्रा के दौरान कोई शोर नहीं मचाया। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा यह विपरीत निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदक उसे बलपूर्वक ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका बलात्संग किया। अतः यह अभिवचन किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को वर्तमान वाद में मिथ्या फंसाया गया है और वह उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

19. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिकथित अपराध अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त के दोष के निष्कर्ष अभिलिखित किए, जिससे दोषसिद्धि हुई, और अभियुक्त-अपीलार्थी को विधि के अनुसार दंडादिष्ट किया। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में कोई अवैधता या विपरीतता नहीं है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

20. हमने अपीलार्थी के विद्वान न्याय मित्र, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना है तथा विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों सहित अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

21. जिस रीति से घटना घटित हुई, उसका उल्लेख ऊपर पहले ही किया जा चुका है। अभियोजन का विनिर्दिष्ट वाद यह है कि दिनांक 25.08.1978 को लगभग प्रातः 10:00 बजे जब पीड़िता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कॉपियां खरीदने बाजार गई, तब अभियुक्त-अपीलार्थी उससे मिला और उससे कहा कि वह उसके साथ दिल्ली चले, क्योंकि वह कोई रोजगार प्राप्त करना चाहती थी। पीड़िता ने उससे कहा कि उसे अपने माता-पिता से अनुमति लेने के लिए अपने घर जाना होगा। अभियुक्त ने उसे सूचित किया कि उसने पहले ही उसके माता-पिता से बात कर ली है और उसे बस द्वारा दिल्ली ले गया। दिल्ली से उसे मुरादाबाद लाया गया, जहां से उसे संभल ले जाया गया और फिर उसे हापुड़ लाया गया, तत्पश्चात, उसे बुलंदशहर ले जाया गया और वे रात्रि में वहां पहुंचे। अभियुक्त उसके साथ अपने मित्र जीते के घर गया, परंतु वह वहां उपलब्ध नहीं था, और फिर अभियुक्त उसे छज्जूमल की धर्मशाला में ले गया, जहां उसने कमरा प्रबंध करने के लिए धर्मशाला के प्रबंधक से बात की। उसे उक्त परिसर के प्रथम तल पर एक कमरे में ले जाया गया, जहां अभियुक्त ने उसकी लज्जा भंग की। इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने धर्मशाला के कमरे में उसके साथ बलात्संग किए जाने का भी अभिकथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध प्रलोभन देने के साथ-साथ बलात्संग कारित किए जाने का अभिकथन भी स्पष्ट रूप से बनता है। पी.डबल्यू.3-पीड़िता के कथन के अतिरिक्त, पी.डबल्यू.4 ने भी कथन किया कि वायरलेस पर पुलिस से सूचना प्राप्त होने पर वे थाना कोतवाली, जनपद बुलंदशहर गए, जहां पीड़िता को पुलिस द्वारा उन्हें सुपुर्द किया गया और अभियुक्त-अपीलार्थी पुलिस की अभिरक्षा में था। इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने स्वयं धर्मशाला के प्रबंधक को ऐसी घटना के बारे में सूचित किया और वह थाने भी गई तथा अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग का अभिकथन करते हुए पुलिस के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। अतः, इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी पीड़िता को बुलंदशहर नहीं ले गया था, जहां उसने छज्जूमल की धर्मशाला में उसका बलात्संग किया। इसके अतिरिक्त, धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त पीड़िता को उसके साथ बलात्संग करने के आशय से धर्मशाला ले गया था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि वह धर्मशाला से पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और वह उसे दिल्ली, मुरादाबाद, संभल और बुलंदशहर ले गया था। अभियुक्त का यह स्वीकार करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त अपने संबंधियों के घर शरण लेने हेतु पीड़िता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया था और जब उसके किसी भी संबंधी ने उसे अपने घर में शरण देने के लिए सहमति नहीं दी, तब वह दिनांक 26/27.08.1978 की रात्रि में छज्जूमल की धर्मशाला में आया। ये तथ्य दर्शाते हैं कि अभियुक्त के सभी संबंधियों ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। अतः, यदि अभियुक्त का



कोई बुरा आशय नहीं था, तो लड़की को विभिन्न स्थानों पर ले जाने का अभियुक्त के पास कोई अन्य अवसर नहीं था। अभियुक्त ने पीड़िता की लज्जा भंग की। पीड़िता का कथन दर्शाता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका बलात्संग किया गया। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी और अभियुक्त ने बलपूर्वक उसका बलात्संग किया। अतः, अभियोजन की कहानी पर, विशेष रूप से पीड़िता के कथन पर, अविश्वास करने का कोई अवसर नहीं है। अभियुक्त ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह अभिकथित रात्रि में पीड़िता को धर्मशाला ले गया था और वह वहां गिरफ्तार किया गया था, जब वह उक्त धर्मशाला में पीड़िता के साथ था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता के साथ उसका पूर्व परिचय था। यदि पीड़िता ने अपनी सहमति दी होती, तो वह धर्मशाला के प्रबंधक को सूचित नहीं करती अथवा वहां पुलिस को नहीं बुलाती। ये परिस्थितियां, अतः, अभियोजन की कहानी को विश्वसनीय और भरोसेमंद बनाती हैं।

22. विद्वान की यह दलील कि पीड़िता सहमति देने वाली पक्षकार थी और अभियुक्त के कथन के अनुसार उसने बलात्संग के लिए सहमति दी थी तथा उसके चिकित्सीय परीक्षण में कोई आंतरिक क्षति नहीं पाई गई, के संबंध में यह पाया गया है कि महिला चिकित्सक का कथन दर्शाता है कि उस समय पीड़िता को मासिक धर्म हो रहा था, अतः, स्वाभाविक रूप से, इन परिस्थितियों में पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई क्षति नहीं आती। परिस्थितियां, अतः, दर्शाती हैं कि प्रवेशन के संबंध में पीड़िता का कथन अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है। जब लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष हो, तब सहमति का कोई बल नहीं होता। बलात्संग के अपराध के लिए, प्रवेशन मैथुन गठित करने के लिए पर्याप्त है। यदि लड़की 16 वर्ष से कम आयु की है, तो लड़की की सहमति भी तत्त्वहीन हो जाती है। अतः, पीड़िता के कथन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि उसने मैथुन के लिए कभी सहमति नहीं दी। इसके अतिरिक्त, वह ऐसी स्थिति में भी नहीं थी, जब वह मैथुन के लिए अपनी सहमति दे सकती थी, जैसा कि ऊपर विवेचित किया गया है। ये परिस्थितियां दर्शाती हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा उसकी सहमति के बिना उसका बलात्संग किया गया। उपर्युक्त परिस्थितियां और अभियोजन साक्ष्य उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को पूर्णतः स्थापित करते हैं।

23. वर्तमान वाद में, अभियोजन का संस्करण पीड़िता के स्वयं के कथन के अनुरूप है, जिसके साथ बलात्संग कारित किया गया था। अतः, अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते समय विचारण न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क विधिसम्मत, न्यायोचित और उचित है, विशेष रूप से अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर अभियुक्त-अपीलार्थी को भूमिका सौंपे जाने की रीति के साथ-साथ अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्क को दृष्टिगत रखते हुए। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेख पर सामग्री के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है। अतः, दोषसिद्धि का निष्कर्ष, बरकरार रखा जाता है।

24. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि वाद के तथ्यों में विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से एक अनुज्ञेय दृष्टिकोण है, तथा केवल इसलिए कि कोई भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सकता था, सामान्यतः इस न्यायालय के लिए दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय पाता है कि न तो इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष कोई विचारणीय विवादक उठाया गया है और न ही कोई विपरीतता दर्शाई गई है, जो इस न्यायालय को दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित कर सके।

25. इस दृष्टिकोण को देखते हुए, यह न्यायालय धारा 374(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान अपील पर विचार करने के लिए कोई सम्यक् आधार नहीं पाता, जो परिणामस्वरूप असफल होती है और तदनुसार, **खारिज** की जाती है।

26. अभियुक्त-अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानतनामे रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मुक्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को शेष दंडादेश भुगतने हेतु तत्काल संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

27. अपीलार्थी द्वारा आत्मसमर्पण करने में विफल रहने की स्थिति में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।

28. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ आज से दो माह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

29. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय को तत्काल प्रेषित किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय और आदेश की प्रति 48 घंटों के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ को प्रेषित करें।

31. यह न्यायालय अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान न्याय मित्र सुश्री कंचन चौधरी द्वारा प्रदत्त सहायता की सराहना करता है। राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र उन्हें पारिश्रमिक के रूप में रु. 15,000/- का भुगतान करेगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

11 अगस्त, 2026

मुस्तकीम